प्रपत्र–[redacted] 30.2

परियोजना का नाम :– ई0ए0पी0 के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगर पचांयत चमियाला पम्पिंग पे0यो0** निर्माण हेतु 0.20 है0 आरक्षित वन भूमि 0.159 है0 सिविल एवं सायेम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड एजेन्सी के पत्र मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–घनसाली) की दिनांक 24/6/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है :–

1. श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष।
2. श्री बलवीर प्रसाद बधानी उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य।
3. श्री सतवीर सिंह पंवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य/सचिव।
4. ~~श्री विजय गुनसोला ब्लॉक प्रमुख भिलंगना~~ श्रीमती ... पंवार ... — ~~सदस्य।~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में राज्य योजना के अन्तर्गत **नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0** के निर्माण हेतु परियोजना हेतु 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पंचायत चमियाला के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित नगर पंचायत चमियाला द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंसा की गई है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत चमियाला /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक मे सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.359 है0वन भूमि पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल.

पत्रांक :– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल।

उप जिलाधिकारी
घनसाली